पात्रता सूची तैयार करने की प्रकिया

राज्याधीन सेवाओं में जिन पदों पर प्रोन्नति के लिए लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है, उन पदों पर प्रोन्नति के लिए पात्रता सूची तैयार करने की प्रक्रिया, उ0प्र0(लोकसेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर के पदों पर) चयनोन्नति पात्रता सूची नियमावली,1986 में विहित है। इस नियमावली के अनुसार जहॉ पदोन्नति के लिए मानदण्ड योग्यता हो, वहॉ नियुक्ति प्राधिकारी प्रत्येक श्रेणी अर्थात् सामान्य, अनु0जाति और अनु0जनजाति के अभ्यर्थियों की अलग–अलग तीन सूचियां, उक्त श्रेणी के लिए उपलब्ध रिक्तियों को दृष्टि में रखते हुए तैयार करेगा, जो ज्येष्ठतम पात्र अभ्यर्थियों की पात्रता सूची कही जायेगी, जिनमें नाम, यथासम्भव, रिक्तियों की संख्या के तीन गुना किन्तु कम से कम 08 नाम रखे जायेंगे। यदि भर्ती ऐसी रिक्तियों के लिए, जो भर्ती के एक वर्ष से अधिक अवधि के दौरान हुई हो की जानी हो, तो प्रत्येक वर्ष के सम्बन्ध में पृथक–पृथक पात्रता सूचियां तैयार की जायेंगी और ऐसी स्थिति में भर्ती के द्वितीय और अनुवर्ती वर्षो के लिए पात्रता सूचियां तैयार करते समय, पात्रता सूचियों में सम्मिलित किये जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या निम्नलिखित होगीः–

(1) द्वितीय वर्ष के लिएः– उक्त अनुपात के अनुसार संख्या और प्रथम वर्ष की रिक्तियों की संख्या का योग।

(2) तृतीय वर्ष के लिएः– उक्त अनुपात के अनुसार संख्या और प्रथम और द्वितीय वर्ष की रिक्तियों की संख्या का योग, और इसी प्रकार आगे भी,

परन्तु यह और कि जिन अभ्यर्थियों को प्रथम दृष्ट्या पदोन्नति के लिए उपयुक्त न समझा जाय, उनकी गणना उस अनुपात के लिए नहीं की जायेगी और उनके नाम के सामने उनके सम्बन्ध में इस प्रकार विचार न किये जाने के आशय की एक टिप्पणी लिख दी जायेगी।

2– जहां पदोन्नति का मानदण्ड अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता हो, वहां नियुक्ति प्राधिकारी प्रत्येक श्रेणी अर्थात सामान्य, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों की अलग–अलग तीन सूचियां उक्त श्रेणी के लिए उपलब्ध रिक्तियों को दृष्टि मे रखते हुये तैयार करेगा जो ज्येष्ठतम अभ्यर्थियों की पात्रता सूची कही जायेगी, जिसमे यथा संभव निम्नलिखित अनुपात मे नाम दिये जायेगेः–

1 से 5 रिक्तियों के लिए –	रिक्तियों की संख्या का दुगुना, किन्तु कम से कम पांच
5 से अधिक रिक्तियों के लिए–	रिक्तियों की संख्या का डेढ़ गुना, किन्तु कम से कम दस

शासनादेश संख्याः 1194/का–1–2000–13/15/91 दिनांक 19 मई, 2001 के प्रस्तर–2(5), 2(6), 2(7), 2(9) व 2(10) मे पदोन्नति के माध्यम से चयन के लिए चयन पात्रता सूची तैयार करने के सम्बन्ध मे निम्नलिखित व्यवस्था दी गयी है :–

प्रस्तर–2(5)– ''श्रेष्ठता (मैरिट)'' के आधार पर आयोजित चयनो के लिए, चयन वर्ष मे भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या के यथा संभव तीन गुना, परन्तु कम से कम 8 ज्येष्ठतम पात्र कार्मिकों के नाम तथा ''अनुपयुक्तों को छोड़कर ज्येष्ठता'' मापदण्ड पर आधारित चयनो के लिए निम्नलिखित गुणांक मे ज्येष्ठतम पात्र कार्मिकों के नाम पात्रता सूची मे रखे जाने की नियमो मे व्यवस्था है, जिसके अनुसार ही पात्रता सूची तैयार की जाय :–

1 से 5 रिक्तियों के लिए –	रिक्तियों की संख्या का दुगुना, कम से कम पांच
5 से अधिक रिक्तियों के लिए–	रिक्तियों की संख्या का डेढ़ गुना, परन्तु कम से कम दस

प्रस्तर–2(6)– पात्रता की सूची की तैयारी हेतु निर्विवाद ज्येष्ठता सूची का ही प्रयोग किया जाय। प्रस्तावित, अनन्तिम या विवादित ज्येष्ठता सूची से पात्रता सूची तैयार कर चयन किया जाना उचित नही है।

प्रस्तर–2(7)– ''अनुपयुक्तों को छोड़ते हुये ज्येष्ठता मापदण्ड'' से सम्पन्न होने वाले चयनो मे सामान्य, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति वर्ग के पात्र कार्मिकों के लिए उनके कोटे के लिए अवधारित की गयी रिक्तियों के सापेक्ष नियत गुणांक मे अलग–अलग तीन पात्रता सूचियां बनायी जायें व श्रेष्ठता के आधार पर होने वाले चयनो के लिए एक सम्पूर्ण चयन वर्ष की सभी रिक्तियों के सापेक्ष नियत गुणांक मे एकल पात्रता सूची ही तैयार की जाय।

प्रस्तर–2(9)– यदि किसी एक दिनांक को एक से अधिक चयन वर्षों के लिए चयन प्रस्तावित हो, तो पात्रता सूची विषयक नियमो के अनुसार प्रत्येक चयन वर्ष के लिए अलग–अलग पात्रता सूचियां बनायी जायं जिसके लिए निम्न प्रक्रिया अपनायी जाय :–

1. द्वितीय वर्ष के लिए– निर्धारित अनुपात के अनुसार संख्या और प्रथम वर्ष की रिक्तियों की संख्या का योग।
2. तृतीय वर्ष के लिए – निर्धारित अनुपात के अनुसार संख्या और प्रथम व द्वितीय वर्ष की रिक्तियों की संख्या का योग। और इसी प्रकार आगे भी।

प्रस्तर–2(10)– पात्रता सूची मे उन कार्मिकों के नाम भी शामिल किये जायें जो सम्बन्धित सेवा नियमावली के अनुसार पात्रता की समस्त निर्धारित शर्तें (यथा स्थायीकरण, पोषक पद पर अर्हकारी सेवा आदि) पूरी करते हों। यदि कोई कार्मिक चयन वर्ष मे चयन के समय उपरोक्तानुसार पात्रता की शर्तें पूरी करता हो, परन्तु विलम्ब से चयन सम्पन्न होने के कारण, चयन के दिनांक को वह सेवा निवृत्त हो गया अथवा उसकी मृत्यु हो गयी हो, तब भी उसका नाम यथा स्थान पात्रता सूची मे रखा जाय।